

Email

Central Registry


Fwd: प्रार्थी की माता के हत्या में फरार अपराधी से मिलकर पुस्तैनी मकान कब्जा करने के संदर्भ में।

From : upadhyayrajesh704@gmail.com

Wed, Dec 22, 2021 10:36 AM

Subject : Fwd: प्रार्थी की माता के हत्या में फरार अपराधी से मिलकर पुस्तैनी मकान कब्जा करने के संदर्भ में।

To : narendramodi1234@gmail.com



----- Forwarded message -----

From: **rajesh upadhyay** <upadhyayrajesh704@gmail.com>

Date: Tue, Dec 21, 2021 at 4:21 PM

Subject: प्रार्थी की माता के हत्या में फरार अपराधी से मिलकर पुस्तैनी मकान कब्जा करने के संदर्भ में।

To: <cmup@nic.in>

- 1-प्रार्थी अतुल पाठक ग्राम चिलबिला थाना बड़ागांव वाराणसी का निवासी है।
 - 2-प्रार्थी के मा की हत्या के जुर्म मु0 स0 38/99 धारा 498A 304A 3/4 D P act थाना सुरेरी जनपद जौनपुर में दर्ज है जिसमें मेरे पिता व दादा लालजी पाठक मुलजिम है।
 - 3 प्रार्थी के दादा लालजी पाठक व पिता राजकुमार पाठक फरार है, व 82 तथा 83 की कुर्की 25/08/1999 को हो चुकी है।
 - 4-आज तक लगभग 21 वर्ष से मुलजिम न्यायालय से फरार है ।
 - 5- मा की हत्या के समय प्रार्थी की आयु लगभग 4वर्ष थी।
 - 6- प्रार्थी नाना नानी के यहां सुरक्षा की दृष्टि से रहता है।ग्राम अडियार थाना सुरेरी जनपद जौनपुर ।
 - 7-प्रार्थी का पुस्तैनी मकान गांव के ही अरविंद विश्वकर्मा पुत्र संपूर्णानंद अपनी माता शकुंतला देवी पत्नी संपूर्णानंदके नाम से मेरी आबादी की 267 मीटर जमीन खरीद 5/6/12 को बैनामा करा लिये।
 - 8-प्रार्थी की उम्र लगभ 16 वर्ष थी
 - 9 - बैनामा करता 21 वर्ष से न्यायालय से फरार और जिसके खिलाफ 82,83 की कार्यवाही हुई है।और मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।
 - 10-अरविंद विश्वकर्मा चूकि तहसील पिंडरा जनपद वाराणसी में काम करता है उसने मेरा पुस्तैनी मकान व आबादी की भूमि को कब्जे कर रहा है।व मकान में तोड़फोड़ कर रहा है।
 - 11-प्रार्थी द्वारा थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी को दिनांक 10/12/21 को सूचना दी गयी।थाना द्वारा काम रुकवा दिया गया।काम रुकवाने में 112 no में भी कई बार बात हुआ।लेकिनकब्जा पुनः शुरू हुआ
 - 12-प्रार्थी द्वारा थाने पे जाने पर विपक्षी को बुलवाया गया और हल्का थानेदार द्वारा समझाने में कब्जा रुक गया।
 - 13-अरविन्द चूँकि तहसील में कामकरता है वह आबादी की भूमि पर 11/12/21 को लेखपाल व कानून गो की रिपोर्ट बनवाकर sdm को सम्बोधित कर इंस्पेक्टर बड़ागांव को दे दिया।
 - 14 -थाना प्रभारी महोदय ने लेखपाल की रिपोर्ट प्रार्थी को व्हाट्सएप कर दिए।
 - 15- प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन 15/12/21 sprा वाराणसी को दिया गया।
 - 16-प्रार्थी द्वारा पुनः 16/12/21 को तहसीलदार पिंडरा वाराणसी व dm कार्यालय में दिया गया है
 - 17- DM साहब के सरकारी no मपे कईबार फ़ोन हुआ तहसीलदार साहब से भी बात हुई लेकिन उन्होंने अरविंद को जानने से इनकार करदिया ।वvip duty में लगे रहे ।।
- अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपजिलाधिकारी महोदय को निर्देशित करने की कृपा करें कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर लेखपाल व कानून गो के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बड़ागाँव को निर्देशित करने की

कृपा करें कि फरार व्यक्ति लालजी पाठक को बैनामा लेने वाले शकुंतला पत्नी संपूर्णानंद, संपूर्णानंद पुत्र चौथी तहत शिवकुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार पुत्रगण संपूर्णानंद, शिवपूजन पाठक पुत्र रामचन्द्र पाठक के ऊपर अपराधी को छिपाने व संरक्षण देने व न्यायलय के आदेश के अवहेलना के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर प्रार्थी के मकान जमीन व जमाल की रक्षा की जाय।

प्रार्थी

अतुल पाठक

ग्राम चिलबिला

थाना बड़ागाँव

जनपद वाराणासी

9889603135